

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (मोप्र०)

क्रमांक 20274 / स्था. / अराज / एमसी / 2020

रीवा दिनांक 05/11/2020

**सूचना**

सूचना क्रमांक / 19560 / स्था. / अराज / एम.सी. / 2020

दिनांक 23/10/2020 द्वारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रीवा हेतु स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी अनंतिम चयन सूची के संदर्भ में प्राप्त दावा/आपत्ति के परीक्षण उपरांत की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी सूचनार्थ संलग्न है।

4  
05-11-2020

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा


कार्यालय अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल  
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा

क्रमांक 1319 / स्था. / एस.एस.बी. / 2020

रीवा, दिनांक 05/10/2020

प्रति,

अधिष्ठाता,  
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय,  
रीवा



विषय :- सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रीवा में की जा रही स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया के अन्तिम परिणाम हेतु प्राप्त आपत्ति / दावा के संबंध में।

संदर्भ :- आपके कार्यालय के आवेदक क्रमांक 36827, 36737, 36737, 36781, 36780, 36784, 36805, 36807, 36808, 36809, 36810, 36811, 36812, 36813, 36814, 36815, 36816 दिनांक 27/10/2020

उपरोक्त विषयांतर्गत स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की सूचना क्रमांक 19560 / स्था / अराज / एम.सी. / 2020 दिनांक 23/10/2020 से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रीवा हेतु आयोजित स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया का अन्तिम परिणाम जारी कर दावा / आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु सूचना प्रसारित की गई थी। जिसके संबंध में प्राप्त दावा / आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार है :-

क्र.	दावा / आपत्तिकर्ता का नाम	पत्र में उल्लेखित तथ्यों का निराकरण
01.	पूनम पटेल	<p>01. आवेदकों को अनुभव के लिए प्राथमिकता देने हेतु चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रोरेटा अनुसार 300 बिस्तर या अधिक के शासकीय अस्पताल हेतु 2 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 10 अंक का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार अनुभवी आवेदकों को भी प्राथमिकता दी गई है।</p> <p>02. जिन आवेदकों के पर 300 बिस्तर या अधिक के शासकीय चिकित्सालय का अनुभव प्रमाण पत्र है, दिनांक 13.10.2020 को जांचने हेतु दस्तावेज सत्यापन किया गया था। दस्तावेज सत्यापन उपरांत समिति के सदस्यों में हुई चर्चा अनुसार जिन आवेदकों के अंक पूर्व में तीन गुना तक बुलाये गये अंकों के न्यूनतम अंक तक थे केवल उन्हीं का साक्षात्कार किया गया है। जिससे पहले हुए दस्तावेज सत्यापन में अपात्र हुए आवेदकों एवं अनुभव सत्यापन के दौरान आये आवेदकों में कोई भी भेदवाव न हो।</p> <p>03. दस्तावेज सत्यापन के उपरांत दिनांक 13.10.2020 या इससे पहले के कुछ आवेदन जिनको परिवहन या चिकित्सीय समस्या होने के कारण नियत दिनांक को नहीं आ सके थे ऐसे आवेदक जिनके लिये अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई, उनका दस्तावेज सत्यापन दिनांक 14.10.2020 को किया गया है।</p>

1319

5/10/2020

		04. अनंतिम परिणाम की जारी सूची में आवेदन क्रमांक SMC0119002654 - 62.45%, SMC0119008489 - 62.45%, SMC0119001964 - 62.47% के आवेदक अनुसूचित जन जाति श्रेणी के हैं। अनुसूचित जन जाति श्रेणी हेतु निर्धारित प्रोरेटा अनुसार 62.26% अंक तक के आवेदकों का साक्षात्कार किया गया है। इस कारण इनकी आपत्ति निराधार है।
2.	पूजा द्विवेदी	भर्ती प्रक्रिया में जिला रोस्टर के अनुसार पदों का वर्गीकरण किया गया है। जिसमें ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित किसी भी प्रकार के आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस कारण इनकी आपत्ति निराधार है।
3.	माया पटेल	साक्षात्कार हेतु 07 सदस्यों की गठित चयन समिति द्वारा आवेदक को साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर अंक दिये गये हैं।
4.	कविता पटेल	अनमित सूची में जारी आवेदन क्रमांक SMC0119000206 के आवेदक संजू चर्तुवेदी के द्वारा बी.एस.सी. नर्सिंग के 76.00 प्रतिशत अंक भरने (गलत जानकारी प्रस्तुत करने) के कारण आवेदक पात्र पाये गये थे एवं इनका साक्षात्कार किया गया था। परंतु दस्तावेजों के जांच में आपत्ति सही पाई गई कि पाया गया कि आवेदन क्रमांक SMC0119000206 के आवेदक संजू चर्तुवेदी के बी.एस.सी. नर्सिंग में 66.5 प्रतिशत हैं, इस कारण आवेदक आवेदक का नाम सूची में से विलोपित किया जाता है।
5.	प्रशांत शेखर त्रिपाठी	अनमित सूची में जारी आवेदन क्रमांक SMC0119000206 के आवेदक संजू चर्तुवेदी के द्वारा बी.एस.सी. नर्सिंग के 76.00 प्रतिशत अंक भरने (गलत जानकारी प्रस्तुत करने) के कारण आवेदक पात्र पाये गये थे एवं इनका साक्षात्कार किया गया था। परंतु दस्तावेजों के जांच में आपत्ति सही पाई गई कि पाया गया कि आवेदन क्रमांक SMC0119000206 के आवेदक संजू चर्तुवेदी के बी.एस.सी. नर्सिंग में 66.5 प्रतिशत हैं, इस कारण आवेदक आवेदक का नाम सूची में से विलोपित किया जाता है।
6.	दीपिका सिंह पटेल	साक्षात्कार हेतु 07 सदस्यों की गठित चयन समिति द्वारा आवेदक को साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर अंक दिये गये हैं।
7.	मनोरमा सिंह	आवेदकों को अनुभव के लिए प्राथमिकता देने हेतु पूर्व में चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रोरेटा अनुसार 300 बिस्तर या अधिक के शासकीय अस्पताल हेतु 2 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 10 अंक का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार अनुभवी आवेदकों को भी प्राथमिकता दी गई है। इस कारण इनकी आपत्ति निराधार है।

✓ ✓

6/11/20

8.	मीना सत्यनामी	आवेदक के निर्धारित प्रोरेटा अनुसार जी.एन.एम. के कुल प्रतिशत 66 का 65 प्रतिशत = $42.9 + 5$ अंक मूलनिवासी = 47.9 अंक है। जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये गये आवेदकों से कम है। इस कारण इनकी आपत्ति निराधार है।
9.	छाया सिंह	साक्षात्कार हेतु 07 सदस्यों की गठित चयन समिति द्वारा आवेदक को साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर अंक दिये गये हैं।
10.	आशीष विश्वकर्मा	चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रोरेटा अनुसार बी.एस.सी. नर्सिंग / जी.एन.एम. के कुल प्रतिशत का 65 प्रतिशत + 10 बी.एस.सी. नर्सिंग + 5 अंक मूलनिवासी + 10 अंक 300 या अधिक के शासकीय चिकित्सालय में कार्य का अनुभव प्रतिवर्ष 2 अंक के आधार पर इस प्रकार कुल 90 अंक में से तीन गुना तक बुलाये गये आवेदकों का न्यूनतम अंक (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 63.75, अनुसूचित जाति हेतु 63.30 एवं अनुसूचित जन जाति हेतु 62.26) के आधार पर दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार किया गया है।
11.	रूपा सिंह	साक्षात्कार हेतु 07 सदस्यों की गठित चयन समिति द्वारा आवेदक को साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर अंक दिये गये हैं।
12.	संगीता पटेल	साक्षात्कार हेतु 07 सदस्यों की गठित चयन समिति द्वारा आवेदक को साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर अंक दिये गये हैं।
13.	पूर्णिमा शुक्ला	अनंमित सूची में जारी आवेदन क्रमांक SMC0119000206 के आवेदक संजू चर्तुवेदी के द्वारा बी.एस.सी. नर्सिंग के 76.00 प्रतिशत अंक भरने (गलत जानकारी प्रस्तुत करने) के कारण आवेदक पात्र पाये गये थे एवं इनका साक्षात्कार किया गया था। परंतु दस्तावेजों के जांच में आपत्ति सही पाई गई कि पाया गया कि आवेदन क्रमांक SMC0119000206 के आवेदक संजू चर्तुवेदी के बी.एस.सी. नर्सिंग में 66.5 प्रतिशत हैं, इस कारण आवेदक आवेदक का नाम सूची में से विलोपित किया जाता है।
14.	कल्पना सिंह	अनंमित सूची में जारी आवेदन क्रमांक SMC0119000206 के आवेदक संजू चर्तुवेदी के द्वारा बी.एस.सी. नर्सिंग के 76.00 प्रतिशत अंक भरने (गलत जानकारी प्रस्तुत करने) के कारण आवेदक पात्र पाये गये थे एवं इनका साक्षात्कार किया गया था। परंतु दस्तावेजों के जांच में आपत्ति सही पाई गई कि पाया गया कि आवेदन क्रमांक SMC0119000206 के आवेदक संजू चर्तुवेदी के बी.एस.सी. नर्सिंग में 66.5 प्रतिशत हैं, इस कारण आवेदक आवेदक का नाम सूची में से विलोपित किया जाता है।
15.	प्रिया पांडे	अनंमित सूची में जारी आवेदन क्रमांक SMC0119000206 के आवेदक संजू चर्तुवेदी के द्वारा बी.एस.सी. नर्सिंग के 76.00 प्रतिशत अंक भरने (गलत जानकारी प्रस्तुत करने) के कारण

27/3

6/11/17

		आवेदक पात्र पाये गये थे एवं इनका साक्षात्कार किया गया था। परंतु दस्तावेजों के जांच में आपत्ति सही पाई गई कि पाया गया कि आवेदन क्रमांक SMC0119000206 के आवेदक संजू चर्तुवेदी के बी.एस.सी. नर्सिंग में 66.5 प्रतिशत हैं, इस कारण आवेदक आवेदक का नाम सूची में से विलोपित किया जाता है।
16.	ऊषा साकेत	चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रोरेटा अनुसार बी.एस.सी. नर्सिंग / जी.एन.एम. के कुल प्रतिशत का 65 प्रतिशत + 10 बी. एस.सी. नर्सिंग + 5 अंक मूलनिवासी + 10 अंक 300 या अधिक के शासकीय चिकित्सालय में कार्य का अनुभव प्रतिवर्ष 2 अंक के आधार पर इस प्रकार कुल 90 अंक में से तीन गुना तक बुलाये गये आवेदकों का न्यूनतम अंक (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 63.75, अनुसूचित जाति हेतु 63.30 एवं अनुसूचित जन जाति हेतु 62.26) के आधार पर दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार किया गया है।
17.	गिरराज सिंह	आवेदक के निर्धारित प्रोरेटा अनुसार जी.एन.एम. में 75.05 अंक के 65 प्रतिशत 48.78 अंक + मूल निवासी के 5 अंक = 53.78 अंक जो कि बुलाये गये आवेदकों के न्यूनतम अंक से कम है।
18.	रामनिवास	01. आपकी द्वारा की गई शिकायत सही पाई गई है। आवेदन क्रमांक SMC0119006330 के आवेदक जगमोहन सिंह पिता बसंता सिंह निवासी जिला ग्वालियार द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करने पर जिला टीकमगढ़ 200 बिस्तर का पाया गया। अतः अनुभव के अंक हटाये जाने के बाद आवेदक जगमोहन का नाम सूची में से विलोपित किया जाता है। 02. आवेदन क्रमांक SMC0119006268 के आवेदक गिरराज प्रजापति के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच की गई, जिसमें सीधी जिला चिकित्सालय 300 बिस्तर का पाया गया। इनका अनुभव प्रमाण पत्र सही पाया गया है। इनके विरुद्ध लगाई गई आपत्ति निराधार है।
19.	प्रीतू तिवारी	साक्षात्कार हेतु 07 सदस्यों की गठित चयन समिति द्वारा आवेदक को साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर अंक दिये गये हैं।

उक्त जानकारी आपकी ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

डॉ. आलोक मृताप सिंह  
प्राध्यापक एवं अध्यक्ष  
अभिलेख परीक्षण समिति

डॉ. सुधाकर द्विवेदी

अधीक्षक

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा